

हरियाणा ने सुशासन पुरस्कार योजना के शुरू होने की अधिसूचना जारी की

चर्चा में क्यों?

19 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने उल्लेखनीय और अभिनव कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिये 'सुशासन पुरस्कार योजना' शुरू की है। इसके लिये अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि 'सुशासन पुरस्कार योजना' का उद्देश्य सुशासन को बढ़ावा देना और उन कर्मचारियों को पुरस्कृत करना है, जो अपने व्यक्तिगत नवाचारों एवं विशेष प्रयासों के माध्यम से राज्य में सुशासन को बढ़ावा देते हैं।
- उन्होंने बताया कि सुशासन पुरस्कार दो स्तरों पर दिये जाएंगे- एक राज्यस्तरीय पुरस्कार और दूसरा जिलास्तरीय पुरस्कार। राज्यस्तरीय पुरस्कार में व्यक्तिगत कर्मचारियों या कर्मचारियों की वजिता टीम को पहला पुरस्कार 51 हजार रुपए नकद, दूसरा पुरस्कार 31 हजार रुपए और तीसरा पुरस्कार 21 हजार रुपए का दिया जाएगा।
- इसी प्रकार, जिलास्तरीय पुरस्कार में पहला पुरस्कार 31 हजार रुपए नकद, दूसरा पुरस्कार 21 हजार रुपए और तीसरा पुरस्कार 11 हजार रुपए दिया जाएगा। इन पुरस्कार में नकद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी, मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा पत्र (जिसकी प्रतीक कर्मचारी की सर्विस बुक में लगेगी) भी दिया जाएगा।
- योजना के अनुसार राज्य स्तर पर अधिकतम 10 पुरस्कार दिये जाएंगे। पहले पायदान के लिये 2 पुरस्कार, दूसरे स्थान के लिये 3 पुरस्कार और तीसरे के लिये 5 पुरस्कार दिये जाएंगे। इसी प्रकार, जिला स्तर पर तीनों पायदान के लिये प्रत्येक जिले में 3-3 पुरस्कार दिये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, 2022 शुरू की है, जो गुरु ए, बी, सी और डी के सभी कर्मचारियों तथा हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी विभाग, बोर्ड, नगिम, वैधानिक प्राधिकरण, मशिन, सोसायटी, संस्थान, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में आउटसोर्सिंग नीति के तहत काम करने वाले कर्मचारी और व्यक्तियों, जिन्होंने नरिदषिट क्षेत्रों में उल्लेखनीय और अभिनव कार्य किया है, पर लागू है। हालांकि, यह योजना प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और एआईएस अधिकारियों पर लागू नहीं है।